न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 435 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 550 / 2019

नन्दु यादव उर्फ आनंद उर्फ मनु, पिता बिजेन्द्र यादव, उम्र करीब 29 वर्ष
साकिन–काशीनगर, पोस्ट सोनमई, थाना धनरुआ, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री विजय कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 रहमान

आदेश

06.08.2026 आवेदक अभियुक्त नन्दु यादव उर्फ आनंद उर्फ मनु की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 550 / 2019, अंतर्गत धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 16.06.2026 से कारा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि इनके द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1225 / 25 इस न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया है तथा पूर्व में अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कुल 10 आपराधिक मामले हैं, जिसमें वह जमानत पर है, परन्तु पुलिस के द्वारा कुल 19 मामले आवेदक के विरुद्ध बताया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में धर्मेन्द्र यादव, आनंद कुमार एवं विकास कुमार के बयान के आधार पर झूठा फॅसाया गया है। कोई स्वीकारोक्ति बयान दर्ज नही किया गया है और अन्य मामले में दर्ज स्वीकारोक्ति बयान को साक्ष्य के रुप में इस्तेमाल किया गया है। इस कांड से संबंधित सत्रवाद संख्या 1083 / 2022 विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, बाढ़ के न्यायालय से निष्पादित किया गया है, जिमसें अभियुक्तों को निर्दोष पाया गया है तथा न्यायालय में भी साक्षियों ने घ ाटना का समर्थन नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा बिना साक्ष्य का आरोप पत्र समर्पित किया है तथा आवेदक अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान लंबित है। आवेदक अभियुक्त का कथित अपराध से कोई सम्बंध नही है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं तथा निवेदन करते है कि आवेदक अभियुक्त का कुल 19 आपराधिक इतिहास है तथा इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। इसलिए इनका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 435/2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 550/2019

लगातार
06.08.2026

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक मो0 जावेद है, जिन्होंने अपना लिखित आवेदन पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अंकित करवाया है, जिसमें सूचक का कहना है कि निबंधन संख्या BR-01GH 8839 का चालक हूँ। दिनांक 11.11.2019 को समय करीब 09:30 बजे ब्लू डार्क एवं राज एक्सप्रेस कंपनी का माल लोड कर जिसका अनुमानित कीमत करीब पन्द्रह लाख चालीस हजार रूपया था, को लेकर बांका नवगछिया एवं भागलपुर के लिये चले थे, समय करीब 11:30 बजे अपने पिकअप गाड़ी के साथ गुलाबबाग से थोड़ा आगे बढ़े तो एकाएक इनके पिकअप गाड़ी के सामने एक सफेद रंग का स्कॉर्पियों एवं बगल में बोलेरो एवं पिकअप के पीछे बेलेरो गाड़ी से ओभर टेक कर इनके गाड़ी को रूकवा लिया तथा गाड़ी से 10–12 की संख्या में लोग उतरे, जिसका हुलिया, उम्र लगभग सभी का 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच था, सभी लोग गमछी एवं गंजी पहने हुये थे, सभी का रंग श्यामला था। सभी के हाथ में देशी कट्टा एवं पिस्तौल था। उसी के बल पर सूचक को पिकअप से उतार लिया तथा इनका हाथ–पैर एवं ऑख बांधकर स्कॉर्पियों गाड़ी के बीच वाले सीट पर सुला दिया एवं इधर–उधर घ ुमाते हुये गौनामा चौड़ में ले जाकर छोड़ दिया। सूचक के पास रखा 920 रूपया एवं इनका मोबाईल ले लिया। जब अभियुक्तों के द्वारा सूचक को छोड़ दिया गया तब सूचक घटना की सूचना अपने मालिक रंजीत कुमार को दिया। जिसके द्वारा सूचक को हरनौत थाना जाने के लिये कहा, जिसपर सूचक सर्वप्रथम हरनौत थाना गया था, फिर मामला बाढ़ थाना अन्तर्गत बताकर उसे बाढ़ थाना जाने के लिये कहा। सूचक जब बाढ़ थाना आ रहा था तो बेलछी थाना से आधा किलोमीटर पहले सड़क किनारे इनका पिकअप लगा हुआ मिला, जब सूचक पिकअप देखा तो उसमें सारा सामान गायब था। सूचक को पूर्ण विश्वास है कि अज्ञात अभियुक्तगण के द्वारा इनका सारा सामान ले लिया गया है।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त है। अभियुक्त का नाम अनुसंधान के दौरान सह अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। अभियुक्त पर सूचक का पीकअप भान अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लूट लेने का आरोप है। मूल कांड दैनिकी के पारा–02 में वादी ने अपने पुनः बयान में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा पीकअप भान लूट लेने की बात कही है। पारा–06, 07, 08, 09 में साक्षी रामनन्दन यादव, विपिन कुमार, मिथलेश कुमार एवं अजय कुमार ने भी अज्ञात लूटेरों द्वारा पीकअप भान लूटने की बात कही है। कांड दैनिकी के पारा 52 में सह अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार, पारा–53 में अभियुक्त श्लोक यादव, पारा–54 में कुंदन कुमार, पारा–55 में आजाद कुमार, पारा–56 में विकाश कुमार द्वारा फतुहां थाना कांड सं0 83/20 एवं शाहजहांपुर थाना कांड सं0 10/20 में दिये गये स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक अभियुक्त का नाम इस वाद में तथा इसी प्रकार के कई अन्य वादों में नाम आया है। पूर्व में अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 435/2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 550/2019

लगातार
06.08.2026

किया जा चुका है तथा वाद 10 अभियुक्तों का विचारण भी पूर्ण हो चुका है। विचारोपरांत उक्त सभी अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ द्वारा सत्रवाद संख्या 1083/22 में दोषमुक्त किया गया है। विचारण के दौरान उक्त सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। पूरक कांड दैनिकी के पारा–15 में इस वाद के सभी 13 अभियुक्तों का एक समान आपराधिक इतिहास वर्णित है, जिनमें 19 वादों में सभी तेरहों को अभियुक्त होने की बात कही गई है। आवेदक अभियुक्त की ओर से दिये गये जमानत आवेदन के कंडिका–3 में अभियुक्त के विरुद्ध केवल 10 वाद होने की बात कही गई है, जिनमें वह जमानत पर है। प्रस्तुत मामले में अन्य अभियुक्तों का टी.आई.पी. परेड नही कराया गया है और गिरफ्तारी के पश्चात् इस अभियुक्त का टी.आई.पी. परेड भी नही कराया गया है। स्वीकारोक्ति बयान के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य अभियुक्त के संलिप्तता के संदर्भ में कांड दैनिकी में नही आया है। अभियुक्त दिनांक 16.06.2026 से कारा में है।

उक्त सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त नन्दु यादव उर्फ आनंद उर्फ मनु को मो0 10,000 रूपये का शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा आवश्यकता होने पर अनुसंधानकर्ता एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ